भारत सरकार,गृह मंत्रालय
सशस्त्र सीमा बल महानिदेशालय
पूर्वी खण्ड-5, आर.के.पुरम
नई दिल्ली-110066

सं.2/12/2010/एस.एस.बी./कार्मिक-II/19538-652 दिनांक-05 सितम्बर 2014

विषय : **<u>एस.एस.बी. में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए स्थाई प्रचालन प्रक्रिया</u>**

महानिदेशक एस.एस.बी. ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए परिशोधित स्थाई प्रचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अनुमोदित किया है।

1) **<u>कार्यक्षेत्र और आवेदन-</u>** इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है, जिन कार्मिकों की मृत्यु कर्त्तव्य निभाते हुए हुई हो अथवा जो चिकित्सकीय आधार पर अक्षम हो गए हों। ऐसे कार्मिकों के परिजनों को अपनी जीविका कमाने तथा गंभीर वित्तीय संकट से उबारने के लिए यह योजना सहायक सिद्ध होगी।

महानिदेशक, मृतक एस.एस.बी. कार्मिक के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदनों की जांच कार्मिक निदेशालय द्वारा की जाएगी तथा इसका निर्धारण महानिदेशक, एस.एस.बी. के अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा। अनुंकपा के आधार पर नियुक्ति ग्रुप 'सी' पदों के अंतर्गत सीधी भर्ती कोटा में की जाएगी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निम्न निर्णयों पर आधारित नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए-

क) उमेंश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में (जे टी 1994(3) सर्वोच्च न्यायालय 525) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक मई 4, 1994 के अनुसार महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाए गए।

(i) वह कार्मिक, जिसकी मृत्यु कर्तव्य के दौरान हुई हो के परिजन जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन न हो, केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के हकदार होंगें।

ii) ग्रुप 'सी' और 'डी' (पूर्व के वर्ग III और IV) के पद मैनुअल और मैनुअल श्रेणी के न्यूनतम पद है अतः अनुकंपा के आधार पर केवल इन्हीं पदों पर ही नियुक्ति की जा सकती है। ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' श्रेणी के किसी भी पद के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।

iii) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने का मूल उद्देश्य, परिवार को अचानक आई आपदा से उबारना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

iv) मृतक कार्मिक या चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को परिवार की आर्थिक स्थिति पर गौर किए बगैर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना वैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।

v) न तो मृतक या चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पद और न ही आश्रित परिजनों की योग्यता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का आधार होगी। यदि आवेदक को यह लगता है कि दिया जाने वाला पद, उनकी योग्यता के अनुकूल नहीं है, तो वह पद स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। उक्त पद उनकी योग्यता के आधार पर नहीं अपितु परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दिया जा रहा है।

vi) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, आवेदक का अधिकार नहीं है, जिसे वह भविष्य में कभी भी प्रयोग में लाने के लिए स्वतंत्र है। एक निश्चित समयावधि के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

vii) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तदर्थ रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 8 अप्रैल 1993 में भारत के महालेखापरीक्षक और अन्य बनाम अनंता राजेश्वरा राव {(1994) एस.सी.सी.192} के मामले में, अपने निर्णय में कहा कि मृतक के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16(2) का पूर्णतः उल्लंघन है। किंतु यदि नियुक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी के पुत्र, पुत्री या पत्नी को दी जाती है, जिनके पास आजीविका चलाने का कोई अन्य साधन नहीं है तथा जिन्हें वित्तीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है जिससे वे आर्थिक संकट का मुकाबला कर सकें।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय ने 28 फरवरी 1995 में भारतीय जीवन बीमा श्रीमती आशा रामचन्द्रा अम्बेडकर और अन्य के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय और प्रशासनिक ट्राइब्यूनल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्देश नहीं दे सकता, केवल नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

(घ) सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मई 1996 में हिमाचल सड़क परिवहन निगम बनाम दिनेश कुमार {जे.टी 1996(5) एस.सी. 319} और हिंदुस्तान वैमानिक लिमिटेड बनाम श्रीमती ए.राधिका तिरुमलै {जे.टी 1996(9) एस.सी. 197} दिनांक 9 अक्टूबर 1996 के मामले में निर्णय दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल रिक्त स्थान होने पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं।

(ड़) हरियाणा राज्य और अन्य बनाम रानी देवी और अन्य {जे.टी. 1996(6) एस.सी. 646} दिनांक 15, 1996 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि इस योजना का लाभ सभी प्रकार के तदर्थ कर्मचारी, अनियत कर्मचारियों को दिया जाने लगेगा, तो इस योजना का न्यायायिक स्तर पर औचित्य नहीं रह जाएगा।

ट) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 5/4/2011 में स्थानीय प्रशासनिक विभाग बनाम एम सेल्वानयागम @ कुमारवेलू द्वारा जारी सिविल अपील संख्या 2006 की 2206 में कहा कि "कर्मचारी की मृत्यु के कई वर्ष पश्चात उनके आश्रितों को नियुक्ति देना तथा उनके वित्तीय संकट को समझे बगैर, तथा एकमात्र आय के स्रोत के समाप्त होने पर आने वाली वित्तीय कठिनाई के बारे में विचार किए बगैर, निर्णय में देरी करना पूरी तरह गलत है, अतः अनुकंपा के आधार पर इस पक्ष को मद्देनजर रखना अनिवार्य है।" (कार्यालय ज्ञापन सं.14014/3/2011 स्था (डी) दिनांक 26.07.2012.

(2) <u>अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य योग्यता-</u>

क) परिवार, गरीब हो तथा यकायक आए आर्थिक संकट में तुरंत वित्तीय सहायता की आवश्यकता हों।

ख) आवेदन, संबंधित भर्ती नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पद के योग्य हो और अनिवार्य अर्हता पूर्ण करता है।

(3) **<u>परिभाषा-</u>**

क) आश्रित परिजन का अर्थ है-

i) पत्नी या

ii) पुत्र (जिसमें गोद लिया पुत्र भी शामिल है) या

iii) पुत्री (जिसमें गोद ली पुत्री भी शामिल है) या

iv) सरकारी कर्मचारी के अविवाहित होने पर भाई या बहन

जो बल कार्मिक की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने अथवा चिकित्सकीय रूप से अक्षम होते समय, पूरी तरह उस पर आश्रित थे।

ख) **सरकारी कर्मचारी**- से आशय है- ऐसा व्यक्ति जिसे नियमित रूप से सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा दैनिक वेतन, अनियत कर्मचारी एपरेन्टिस या तदर्थ या पुर्न रोजगार के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है।

ग) 'सेवा' का अर्थ है सिविल पद से सामान्य आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति प्राप्त करना जिसमें सेवावधि में विस्तार भी शामिल होगा किंतु पुनर्नियोजन शामिल नहीं होगा।

घ) पुनर्नियोजन- सिविल पद पर सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करने से पूर्व, भूतपूर्व सैनिक इसमें शामिल नहीं होगें।

4) किस पर लागू होगी-

क) सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिजन, जिसकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो गई (आत्महत्या से हुई मृत्यु भी इसमें शामिल होगी) या

ख) ड्यूटी करते हुए मारे जाने पर।

ग) सी.सी.एस. (मेंडिकल जाँच) नियम 1957 के नियम 2 के अनुसार चिकित्सा आधार पर अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली के अनुसार 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया हो।

घ) सी.सी.एस.(पेंशन) नियम 1972 के नियम 38 के अनुसार, चिकित्सा आधार पर अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली के अनुसार 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया हो अथवा

ड़) एस.एस.बी. नियम 2009 के नियम 24 या 27 के अनुसार चिकित्सकीय आधार पर हटा दिया गया हो तथा वह सिविल सेवा के लिए भी योग्य न हो।

नोट- अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ सरकारी कर्मचारी के ऐसे परिजनों को नहीं दिया जाएगा, जो आपराधिक मामलों में लिप्त हैं तथा जिन्हें आपराधिक मामले सिद्द होने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। ऐसे आवेदनों पर विचार करने से पूर्व पुलिस जांच के निर्णयों को भी प्रकाश में लाना चाहिए।

5) **<u>लापता सरकारी कर्मचारी-</u>** लापता सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जाएगा यदि वे निम्न शर्ते पूरी करते हों-

क) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रार्थना पर, केवल तब ही विचार किया जाएगा, यदि सरकारी कर्मचारी को गायब हुए 2 वर्ष का समय बीत चुका हो तथा-

i) इस संबंध में पुलिस में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई हो।

ii) गायब व्यक्ति का पता न चल पा रहा हो।

iii) सक्षम प्राधिकारी को प्रतीत हो कि यह मामला यथार्थ व वास्तविक है।

ख) इस योजना का लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा, जो-

i) लापता होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है। या

ii) जिसके किसी जालसाजी में शामिल होने, किसी आतंकवादी संगठन में संलिप्त होने या विदेश जाने की आशंका है।

ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को, लापता सरकारी कर्मचारी के मामले में, व्यक्ति का अधिकार न समझा जाए क्योंकि यह रिक्त स्थानों की उपलब्धता और अन्य शर्तों को पूरा करने पर ही निर्भर करेगी।

घ) ऐसी प्रार्थना पर विचार करते समय, पुलिस जांच को भी प्रकाश में लाया जाना चाहिए।

ड़) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्णय लेने का अधिकार केवल महानिदेशक एस.एस.बी. का होगा।

6) **ऐसे मामले जहाँ कमाई का अन्य स्त्रोत ह**

क) ऐसे मामलों में जहाँ परिवार में कमाने वाला सदस्य मौजूद है, वहाँ मृतक कार्मिक के आश्रित परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है किंतु इसके लिए महानिदेशक, एस.एस.बी. की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

ख) महानिदेशक, एस.एस.बी. ऐसे मामलों में आश्रित को संख्या, परिसम्पत्ति तथा शेष रही जिम्मेदारियाँ, कमाने वाले व्यक्ति का स्तर, वह परिवार के साथ रह रहा है अथवा नहीं तथा वह परिवार का ध्यान रखता है अथवा नहीं जैसी बातों पर विचार करेगां। ऐसे मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आर्थिक संकट का अनुमान लगाना अत्यंत आवश्यक होता है जिससे इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके।

ग) अविवाहित एस.एस.बी. कर्मचारी के मामले में, आश्रित भाई या बहन की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। उन्हें यह घोषणापत्र देना होगा कि वे अन्य आश्रित सदस्यों की भी देखभाल करेंगे।

घ) ऐसे मामलों में जहाँ मृतक अथवा चिकित्सा आधार पर अक्षम कार्मिक के परिवार में कोई सदस्य रोजगार कर रहा है, किंतु वह परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल नहीं कर रहा हो। परिवार के वित्तीय संकट का अनुमान लगाने में बहुत अधिक सतर्कता व सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की सुविधा का दुरूपयोग न हो सके।

7) **वे पद, जिन पर ऐसी नियुक्ति की जा सकती ह**

एस.एस.बी. निम्न ग्रुप सी पद है जिन पर रिक्तता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

क्र. सं.	पद का नाम	टिप्पणी

1.	सहा.उप.निरीक्षक (स्टेनो/फार्मासिस्ट)	भर्ती नियम के अनुसार लिंग
2.	सहा.उप-निरीक्षक (संचार)	भर्ती नियम के अनुसार लिंग
3.	मुख्य सिपाही (अनुसचिवीय/इले.)	भर्ती नियम के अनुसार लिंग
4.	मुख्य सिपाही (संचार/मेंक)	भर्ती नियम के अनुसार लिंग
5.	सिपाही (सामान्य/कुक/वाशर मैन/बाबर/ सफाईवाला/वेटर/ वाटर कैरियर/लैब असिस्टेंट/ नर्सिंग आडरली/मेंसन/प्लंबर /कारपेंटर/पेंटर/ मोची/टेलर/गाडर्नर/ब्लैकस्मिंथ))	
6.	कांस्टेबल (संचार/ ड्राइवर)	

8) पदों की रिक्तता/ उपलब्धता-

क) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, सामान्य आधार पर ही की जाएगी तथा इनमें रिक्त पड़े पदों की उपलब्धता के आधार पर ही विचार होगा।

ख) किसी भी ग्रुप 'सी' पद में सीधी भर्ती कोटा के अधिकतम 5% पद ही अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे। नियुक्ति प्राधिकारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के पदों का 5%, अनुकंपा के आधार पर भरने के लिए रिक्त छोड़ सकते हैं अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि भर्ती रोस्टर में उपयुक्त वर्गीकरण जैसे- अनु.जाति/अनुज.जाति/अ.पि.वर्ग/सामान्य के सम्मुख, उसकी श्रेणी के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए- यदि वह अनुसूचित जाति का है तो उसे अनु.जाति के सम्मुख लिखा जाए, यदि वह अनु.जन-जाति/अ.पि.वर्ग का है तो उसे, उस श्रेणी के सम्मुख एंव यदि वह सामान्य श्रेणी का है, तो उसे सामान्य श्रेणी के लिए वर्णित रिक्त बिंदु पर प्रविष्ट किया जाएगा।

ग) नियमित रिक्तता पर अनुकंपा के आधार पर 5% भर्ती की उच्चतम सीमा में अनियत/दैनिक मजदूरी/तदर्थ/ठेके पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को शामिल नहीं किया जाएगा।

घ) सीधी भर्ती के रिक्त पदों की उच्चतम सीमा 5% से अधिक न हो तथा किसी अन्य रिक्त पद को इसमें समाहित न किया जाए।

9) <u>अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया-</u>

क) अनुलग्नक । में वर्णित प्रोफार्मा में आवश्यक सूचना भरकर, अनुकंपा के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जाए।

ख) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के स्थाई आदेश सं.14014/6/94-स्था (डी) दिनांक 09.10.1998 के अनुसार यूनिट के कल्याण अधिकारी या किसी प्रतिनिधि द्वारा मृत या अक्षम सरकारी कर्मचारी के परिजनों से मिलकर, अनुकंपा के आधार पर नौकरी के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। आवेदक को तुरंत बुलाकर उन्हें आवश्यक औपचारिकता पूरी कर व आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।

ग) अनुकंपा के सभी मामले निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तथा रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर बल मुख्यालय में ही निपटाएं जाएं।

घ) अनुकंपा के मामले में प्रत्येक आवेदक का सम्पूर्ण विवरण, जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी का पूरा नाम, दुर्घटना की तिथि व कारण, दिया जाना चाहिए। अनुकंपा के मामलों में यदि आवेदक अर्ह है तो भी वरीयता के आधार पर ही अनुकंपा के मामले में विचार किया जाएगा-

i) ड्यूटी में कार्यवाही के दौरान मृत्यु

ii) ड्यूटी के दौरान मृत्यु

iii) सेवा से अविधिमान्यकरण

iv) छुट्टी के दौरान मृत्यु

v) आत्महत्या के कारण मृत्यु

vi) चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति या निष्कासन

ड़) मृतक के एक से अधिक बच्चे होने पर, मृतक की पत्नी को यह अधिकार होगा कि वे यह निर्धारित करें कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी किसे दी जाएगी।

ट) ग्रुप 'डी' कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर अक्षम होने पर, उनके घर की स्थिति तथा अन्य हालातों के आधार पर मामले पर अधिक संवेदना के साथ विचार किया जाएगा।

ठ) ग्रुप 'सी' पद के सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा चिकित्सकीय रूप से अक्षम होने पर, उनके आश्रित परिजनों को 'ग्रुप सी' का ही पद प्रदान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। ग्रुप 'डी' सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा उनके अक्षम होने पर, उनके आश्रित परिजनों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और ग्रुप सी में रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर 'ग्रुप सी' का पद भी दिया जा सकता है। (वर्तमान में एस.एस.बी. में ग्रुप डी का कोई पद नहीं है।)

ड) यदि अधिकारियों के बोर्ड द्वारा आवेदक को अर्हता/उपयुक्तता की दृष्टि से अयोग्य पाया जाता है तो उस पद के नीचे के पद पर विचार किया जाएगा यदि उनके द्वारा स्वेच्छा से उस पद को ग्रहण करने का अनुरोध किया गया है तो उनसे लिखित में इस आशय का पत्र लिया जाएगा तथा उसे रिकार्ड में रखा जाएगा।

10) **<u>अनुकंपा के मामले में आवेदन पर विचार करने की समय सीमा-</u>**

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं.14014/3/2011 स्था (डी) दिनांक 26.07.2012 के अनुसार अनुकंपा के आधार पर आवेदन पर विचार करने की समय-सीमा को परिशोधित किया है। रिक्त पदों की उपलब्धता और समय-समय पर इस विषय में जारी निर्देशों के अनुसार, अनुकंपा के मामलों पर विचार के लिए कोई समय-सीमा नहीं है तथा प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर ही विचार किया जाएगा।

11.) **अनुकंपा के मामले में नियुक्ति के लिए देर से प्राप्त आवेदन-**

अनुकंपा के मामले में मृत्यु या चिकित्सकीय रूप से अक्षम होने पर सेवानिवृत्ति के मामले में कई वर्ष बाद भी जैसे 5 वर्ष या इसके भी बाद विचार हो सकता है, ऐसे मामलों पर विचार करने से पूर्व यह ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का मूल उद्देश्य घटना के तुरंत बाद, परिवार को वित्तीय संकट से उबारना है। यदि परिवार इतने सालों तक अपनी जीविका चलाने में सक्षम है तो यह इस बात का प्रमाण है कि परिवार के पास आय का कोई स्रोत है। अतः ऐसे मामलों पर विचार करने से पूर्व पूरी तहकीकात करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में नियुक्ति का अधिकार विभाग से सचिव/संबंधित मंत्रालय द्वारा ही किया जाएगा।

ख) आवेदन देर से किया गया है अथवा नहीं इस बात का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की मृत्यु अथवा शारीरिक रूप से अक्षम होने पर सेवानिवृत्त की तिथि के आधार पर किया जाएगा।

ग) आश्रित परिजनों की दयनीय स्थिति की जांच का दायित्व, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का होगा। (पैरा 4-आदेश सं.14014/3/2011 स्था (डी) दिनांक 26.07.2012.

12) **<u>छूट व रियायत-</u>** किसी छूट की आवश्यकता होने पर केवल महानिदेशक एस.एस.बी. योग्य मामलों में निर्धारित सीमा तक छूट दे सकते है। गृह मंत्रालय के गैर सरकारी पत्र सं.45023/6/2008/कार्मिक-II दिनांक 23.03.2010 के तहत सरकार ने यह निर्धारित किया है कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की योजना के अनुसार महानिदेशक को अनुकंपा के मामले में अधिकतम छूट निम्नानुसार देने का अधिकार है-

i) ऊंचाई- 5 से.मी.

ii) सीना- 3 से.मी.

iii) वजन- 5 कि.ग्रा.

iv) उच्चतम आयु सीमा- 02 वर्ष

ख) उच्चतम आयु सीमा में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है किंतु न्यूनतम आयु सीमा किसी भी अवस्था में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

नोट- आयु का निर्धारण, आवेदन की तिथि के अनुसार होना चाहिए न कि नियुक्ति की तिथि के अनुसार (प्राधिकारी कार्मिक व प्रशिक्षण निदेशालय कार्यालय ज्ञापन सं.14014/6/94 स्था (डी) दिनांक 9 अक्टूबर 1998)

ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना में आवेदन करने वाले कार्मिकों को गृह मंत्रालय के अशासकीय पत्र सं.1/4/5023/16/2003-कार्मिक-II दिनांक 18 जनवरी 2005 और सं 1/45023/6/2008 कार्मिक II दिनांक 03.02.2011 के अनुसार लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

घ) शारीरिक योग्यता टेस्ट (PET)में विधवाओं के लिए छूट है-

कांस्टेबल (जी.डी.)	1) 1.6 कि.मी. दौड़ 10.30 मिनट में पूरी करना 2) लांग जंप- 6 फीट (5 मौके) 3) हाई जंप- 2.5 फीट (5 मौके)
कांस्टेबल (ट्रेडमैन/लैब असिस्टेंट)	1) 800 मी. दौड़ 7 मिनट में पूरी करना 2) लांग जंप- 6 फीट (5 मौके) 3) हाई जंप- 2.5 फीट (5 मौके)
सहायक उप-निरीक्षक (आशु/फार्मासिस्ट)/ मुख्य सिपाही(अनुसचिवीय)	1) 800 मीटर दौड़ 7 मिनट में पूरी करना 2) लांग जंप- 6 फीट (5 मौके) 3) हाई जंप- 2.5 फीट (5 मौके)

(ग) टंकण परीक्षा–

(i) मुख्य सिपाही (मंत्रालयिक) के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थियों का टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में मिली छूट के मामलें में कार्मिक व प्रशिक्षण निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/02/2012–(डी) दिनांक 16/01/2013 लागू होगा।

(ii) टंकण परीक्षा अधिकतम 3 मौको में 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, ऐसा न होने पर कार्मिक को अपदस्थ कर दिया जाएगा।

(iii) टंकण परीक्षा– परीक्षा उद्देश्य के लिए टंकण परीक्षा उस अभ्यार्थी के लिए आयोजित की जाएगी, जो पुनः टंकण परीक्षा में शामिल हो रहा है, बल मुख्यालय में इसके लिए निम्नानुसार बोर्ड का गठन किया जाएगा।

अध्यक्ष– सहायक निदेशक/उप कमांडेंट (अनु)
सदस्य– सहायक कमांडेंट/व्यक्तिगत सहायक
सदस्य– अनुभाग अधिकारी/सहायक कमांडेंट (अनु)

13 शिक्षा– कार्मिक व प्रशिक्षण निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/2/2009 स्था. (डी) दिनांक 11/12/2009 के अनुसार, गंभीर परिस्थितियों में यदि अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के स्तर पर योग्य नहीं पाया जाता है, तो भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

इन्हें प्रशिक्षणार्थी के रुप में भर्ती किया जाए जिन्हें नियमित पे बैड और ग्रेड पे तभी दी जाए जब वे भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लें। ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का उनके प्रशिक्षण के दौरान तथा जब तक वे सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो जाते, उन्हें न्यून्तम रु.4440–7440 पे बैण्ड (S1 पे बैण्ड) बिना ग्रेड पे के प्रदान किया जाए। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता तथा आर एम ए स्वीकार्य दर पर प्रदान किए जाएगें। इन सभी की गणना न्यूनतम S1 पे बैण्ड पर बिना ग्रेड पे के की जाएगी। इस पे बैन्ड , पर नौकरी के समय की सेवा अवधि में जोड़ा नहीं जाएगा। इनकी नियमित सेवा पे बैण्डा 1 रु 5200–20200 तथा ग्रेड पे रु. 2000 पर पदस्थापित किए जाने पर ही मानी जाएगी।

अनुकंपा के मामले में भर्ती परीक्षा की योजना –

आवेदन किए गए पद के लिए भर्ती परीक्षा/ट्रेड परीक्षा/टंकण परीक्षा, सामाव्य योजना/ प्रचालन प्रकिया के अनुसार ही होगी। सभी शारीरिक मानक परीक्षण, पद के लिए भर्ती योजना के अनुसार ही संपादित किए जाएगें। किन्तु अनुकंपा के मामले में अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी।

17. भर्ती परीक्षण के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया–

(क) दस्तावेजों की जांच
(ख) शारीरिक मानक परीक्षण
(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण
(घ) ट्रेड परीक्षा/ टंकण परीक्षा
(ड़) फाइनल चिकित्सा जांच
(ट) रिव्यू चिकित्सा जांच

(18) अभ्यर्थियों के चुनाव में वरीयता का क्रम निर्धारित करने के लिए दुर्घटना का आधार–

i) ड्यूटी में कार्यवाही दौरान मृत्यु
ii) ड्यूटी के दौरान मृत्यु
iii) सेवा से अविधिमान्यकरण
iv) छुट्टी के दौरान मृत्यु
v) आत्महत्या के कारण मृत्यु
vi) चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति या निष्कासन

19. **सेवा की समाप्ति–** अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र में वर्णित किसी शर्त के पूर्ण न होने पर, सेवा को समाप्त किया जा सकता है। सेवा समाप्ति से पूर्व अनुकंपा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को कारण बताओं नोटिस जारी कर, उनके आवश्यक शर्ते पूरी न कर, पाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति का स्पष्टीकरण मांगा जाए। इसके लिए अनुशासनात्मक नियम/अस्थाई सेवा आवश्यक नहीं है।

(20) वरिष्ठता– किसी विशिष्ट वर्ष में अनुकंपा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को उस वर्ष विशेष में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मी अथवा पदोन्नत कर्मी की वरिष्ठता से नीचे रखा जाएगा। (कार्यालय आदेश सं. 20011/1/2008–स्था (डी) पैरा 4,8, दिनांक 11/11/2010 के अनुसार)

विविध–

(क) वित्तीय संकट की गंभीरता के आधार पर सुनियमित और विषयपरक मूल्यांकन– अनुकंपा के मामलों पर विचार करते समय मृत सरकरी कर्मचारी के परिजनों को विभिन्न कल्याण गतिविधियों से प्राप्त धनराशि के रुप में प्राप्त वित्तीय सहायता को ध्यान में आवश्यक है रखना चाहिए अनुकंपा के मामलों को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि परिवार को कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ दिया जा चुका है। इन लाभों को ध्यान में अवश्य रखा जाए साथ ही परिवार की वित्तीय अवस्था और जिम्मेदारियों तथा अन्य कारक जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, बच्चों की आयु, परिवार में रोजगार पर लगे किसी व्यक्ति के विषय में भी विचार किया जाए।

(ख) भर्ती के समय आवेदक से निर्धारित प्रोफार्मा पर एक शपथ, हस्ताक्षरित कराया जाए। (अनुलग्नक ii) यह अनुलग्नक, आवेदन को कॉल लेटर के साथ भेजा जाए साथ ही इस प्रपत्र को भर्ती स्थल पर जमा कराने के निर्देश भी दिए जाएं।

(ग) **अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवा के पुनर्विवाह करने के मामले में:–** अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवा को सेवा, पुनर्विवाह के बाद भी विद्यमान रहेगी।

(घ) **वचनबध:–** अनुकंपा के आधार पर चयनित व्यक्ति को लिखित में (अनुलग्नक I के अनुसार) एक वचनबध प्रस्तुत करना होगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों (जो मुत्यु अथवा चिकित्सकीय रुप से अक्षम व्यक्ति पर आश्रित थे) की देखभाल भली–भांति करेगा।

यदि कभी यह बात सिद्ध हो जाती है कि नियुक्त व्यक्ति, अन्य आश्रित सदस्यों की देखभाल भली–भांति नहीं कर रहा है तो उसकी नौकरी तत्काल निरस्त समझी जाएगी। इस आशय की एक अतिरिक्त शर्त अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पत्र में जोड़ दी जाएगी।

(ड.) **पद/व्यक्ति में बदलाव के लिए निवेदन:–** जब किसी व्यकित को, किसी पद विशेष पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया हो तो नियुक्ति के समय उपस्थित परिस्थितियाँ समान ही रहनी चाहिए। अतः

(i) नियुक्त व्यक्ति को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने सहकर्मियों के समान ही प्रयत्न करने होंगे तथा अनुकंपा के आधार पर पदोन्नति अथवा उच्च पद पर नियुक्ति की प्रार्थना को खारिज कर दिया जाएगा।

(ii) अनुकंपा के आधार पर चयनित व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा तथा अनुकंपा के आधार पर की गई ऐसी किसी भी प्रार्थना को निरस्त कर दिया जाएगा।

(च) **अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं:–** कार्मिक व प्रशिक्षण निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/94 स्था(डी) दिनांक 9 अक्टूबर 1998 के अनुसार अनुकंपा के आधार पर पदों पर भर्ती करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल इस आधार पर नियुक्ति के लिए मना नहीं किया जा सकता कि संगठन के मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में फेरबदल किया गया है। यदि स्थान रिक्त है तथा आवेदन करने वाले व्यक्ति को योग्य पाया गया है तो इस योजना के अंतर्गत उन्हें नियुक्त किया जा सकता है।

(रेणुका मिश्र)
महानिरीक्षक (कार्मिक व प्रशिक्षण)